न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 08 / 2023 अन्तर्गत धारा 188 RT Act

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ईश्वरसिंह पुत्र गोपसिंह 2. कमलसिंह पुत्र भूरसिंह 3. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. गुलाबसिंह पुत्र भंवरसिंह 5. गोपसिंह पुत्र अनोपसिंह 6. छुगसिंह पुत्र भंवरसिंह 7. दलपतसिंह पुत्र भंवरसिंह 8. देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह 9. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह 10. नीम्बसिंह पुत्र भूरसिंह 11. प्रेमकंवर पत्नी भूरसिंह 12. पूरसिंह पुत्र भंवरसिंह 13. भगसिंह पुत्र भंवरसिंह 14. विक्रमसिंह पुत्र गोपसिंह 15. श्रवणसिंह पुत्र गोपसिंह 16. स्वरूपसिंह पुत्र कानसिंह 17. सवाईसिंह पुत्र कानसिंह 18. हड़वंतसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुत, निवासी जालीला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मुरादखान पुत्र सिद्धिक 2. गुलामखान पुत्र मुरादखान 3. पांधीखान पुत्र मुरादखान 4. हाजीखान पुत्र मुरादखान 5. हैदरखान पुत्र मुरादखान 6. उरसाखान पुत्र मुरादखान जाति मुसलमान, निवासी मतुजा तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– वादीगण अधिवक्ता – श्री बृजमोहन कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 19.09.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त का खेत मौजा मतुजा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 243 / 61 रकबा 4.2492 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर वादीगण का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण, वादीगण के खातेदारी खेत में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण, वादीगण के सेढापड़ौसी न होते हुए भी झगड़ालू प्रवृति के होने एवं राजनैतिक प्रभाव के बल पर वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैध रूप से जबरन कब्जा करने पर आमादा है तथा वादीगण के खेत में खड़ी अरण्डी की फसल को जबरन काटकर ले जाने पर आमादा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी में ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के साथ मारपीट की गई तथा उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि में काबिज काश्त है तथा खेत के चारो तरफ तारबंदी भी की हुई है। वादीगण का निवास स्थान दूर जालीला गांव में होने तथा वादीगण के शांतिप्रिय एवं ग्रामीण होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई [illegible] अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी के वादीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके प[illegible] काश्त है। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की [illegible] अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करने, वादीगण के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का [illegible] बेदखलदाजी नहीं करने तथा वर्तमान खड़ी फसल को जबरन काटकर नहीं ले जाने के आशय का स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर[illegible] बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:49 IST
Reason: SelfAttested

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी संख्या 5 द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप अपना बयान शपथ पत्र पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध अनाधिकृत तरीके से प्रवेश नहीं करने, वादीगण के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का कब्जा व दखलदांजी नहीं करने तथा वादीगण के खेत में खड़ी फसल को काटकर नही ले जाने के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध व अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर वादीगण की खातेदारी में दखलदांजी करने व खड़ी फसल को जबरन काटकर ले जाने पर आमादा होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण की खातेदारी भूमि में विधि विरूद्ध तरीके से प्रवेश नहीं करने, किसी प्रकार का कब्जा व दखलदांजी नहीं करने तथा जबरन खड़ी फसल काटकर नहीं ले जाने के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी भूमि होने तथा प्रतिवादीगण द्वारा दखलदांजी करने पर विवाद होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। वादीगण अपनी खातेदारी में दखलदांजी करने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः उक्त स्थिति में विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी भूमि होने तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरन अवैध रूप से कब्जा करने व खड़ी फसल काटकर ले जाने पर आमादा होने से वादीगण अपनी खातेदारी भूमि में दखलदांजी रोकने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा मतुजा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 243/61 रकबा 4.2492 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने, विधि विरूद्ध व अनाधिकृत से प्रवेश नहीं करने, किसी प्रकार का जबरन कब्जा नहीं करने तथा खड़ी फसल को जबरन काटकर नहीं ले जाने के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO)(शिव)

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO)(शिव)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:49 IST
Reason: SelfAttested